

# Municipal Corporation, Yamunanagar – Jagadhri

## NOTICE INVITING E-TENDERS

Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri invites online tenders (through e-tendering system) from the eligible Contractors/Individuals/Firms/ for following work falling under the limits of Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri

Sr. No.	Name of Work	Tender Document Fees (Rs.)	E.M.D.	Date & Time		
				Start date	End Date	Opening Date
1	Complete sanitation of the area including Door to Door Collection of Solid Waste, Sanitation, Sweeping, Providing Regular Road Sweeping, Drain Cleaning, Garbage Lifting, Spraying Disinfectants and Sanitation Services Including Collection of Garbage, Bush Cutting, Drain Cleaning including Transportation of All kinds of Garbage/Waste of All Disposal/Landfill site. Transportation of All kinds of Garbage in <b>Zone No. IV – Ward No. 5, 9, 10</b> <b>Population – 65579 (Approx.)</b> <b>Unit – 15667 (Approx.)</b>	2000/-	2,00,000/-	20-06-2017 from 09:00 AM	28-06-2017 up to 3:00 PM	28-06-2017 From 5:00 PM

**Note :-**

- i. Details regarding terms & conditions including the tender documents are available on the website <http://etenders.hry.nic.in/www.mcynr.com> and also in Office of Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri.
- ii. Tenders will have to submit hard copies of all requisite documents in the office of Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri before 28-06-2017 upto 3:00 PM otherwise bid will liable to be rejected.
- iii. As the Bids are to be submitted online and are required to be encrypted and digitally signed, the Bidders are advised to obtain Digital Signature Certificate (DSC) at the earliest.
- iv. Earnest money and Tender fee in shape of Demand Draft in favor of Commissioner, Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri must be submitted in this office of Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri before the closing date.
- v. The firms which qualify technical criteria will be eligible for opening of financial bids.
- vi. Commissioner, Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri reserves the right to accept/reject or cancel any tender/Bid without assigning any reason.

**Note :- For any inquiry please contact on Ph. No. 01732-228167. (mc.yamunanagar@gmail.com)**

Commissioner,  
Municipal Corporation,  
Yamunanagar-Jagadhri.

## नियम व शर्तें

1. नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी में जोन नं0 IV के वार्ड नं0 5,9,10 में पूर्ण साफ सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा कुलेक्शन, सैग्रिगेशन तथा इन वार्डों में आने वाले छोटे-बड़े सभी प्रकार के नालों की सफाई तथा कुलेक्शन प्वाइंट व घर-घर से गलनशील व अगलनशील कूड़ा अलग-2 इकट्ठा करके कैल खेड़ा सोलिड वेस्ट प्लांट तक पहुंचाने का कार्य करवाया जाना है। इसके अतिरिक्त टेकेदार द्वारा अपने जोन क्षेत्र वार्ड नं0 5,9,10 से अतिरिक्त जगाधरी क्षेत्र में पड़ने वाले सभी नालों की पूर्ण सफाई भी नियमित रूप से करवानी होगी।
2. ई-टैण्डरिंग में कम्पनी/एजेन्सी को निगम द्वारा दिए जाने वाले रेट प्रति यूनिट के हिसाब से भरने होंगे। इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्र के रिहायशी मकानों, वाणिज्य, व्यवसायिक, हस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं से हरियाणा सरकार की अधिसूचना 14/153/2011-4C दिनांक 24.10.2011 के अनुसार मासिक शुल्क (यूजर चार्जिज) स्वयं एकत्रित करेगा। वह भी टेकेदार का होगा। यदि टेकेदार यूजर चार्जिज एकत्रित नहीं कर पाता है तो नगर निगम की कोई जिम्मेवारी न होगी व इस सम्बन्ध में टेकेदार नगर निगम से कोई क्लेम नहीं करेगा। जिसमें से कम्पनी/एजेन्सी द्वारा उपरोक्त कार्य जिसमें सभी प्रकार के संसाधन (झाड़ू, कस्सी, बेलचा, टोकरी, कर्मचारियों की वर्दी, दस्ताने, हेल्मेट, फ्लोरोसेन्ट जैकेट, रिक्शा रेहड़ी, धी-व्हीलर, कूड़ा उठाने के लिए वाहनों व मैन पॉवर) आदि का खर्चा स्वयं वहन करना होगा।
3. टेका ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा। टेके में भाग लेने वाले टेकेदार/एजेन्सी के पास वैध लेबर लाईसेंस, ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. नं0, सर्विस टैक्स नं0, पैन/टिन नं0 होना अनिवार्य होगा तथा कार्य योजना (वर्क प्लान) व टेकेदार सरकारी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं है, बारे शपथ पत्र देना होगा। उक्त सभी कागजात तकनीकी बिड के साथ हार्ड व सॉफ्ट कॉपी जमा करवाने होंगे। जो फर्म हार्ड कापी जमा नहीं करवायेगा तथा तकनीकी बिड के दस्तावेज पूरे नहीं करेगा तो उस फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।
4. a) ई-निविदा में भाग लेने वाले टेकेदार/फर्म/एजेन्सी का किसी भी प्रकार के सफाई कार्य के लिए 3 वर्षों में कम से कम एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष की टर्न ओवर होना अनिवार्य है। जिसके लिए सम्बन्धित टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा सी.ए. से सत्यापित तकनीकी बिड के साथ नगर निगम यमुनानगर में उपलब्ध करवानी होगी।

- b) ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को किसी भी प्रकार के सफाई कार्य का तीन वर्ष का अनुभव सरकारी विभाग, नगर निगम/परिषद/पालिका में होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में तकनीकी बिड के साथ जमा करवानी होगी।
5. ठेके की अवधि एक वर्ष तक होगी जिसमें पहले तीन मास की अवधि ट्रायल आधार पर होगी यदि इस अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेके की अवधि एक वर्ष तक के लिए कर दी जायेगी। इसके पश्चात दोनो पक्षों की सहमति से कार्य एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
  6. प्रत्येक ठेके के लिए ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को धरोहर राशि के रूप में 2 लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के पक्ष में दिनांक 28.06.2017 को सायं तीन बजे से पूर्व जमा करवाना होगा। ऐसा न करने की सूरत में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी की निविदा मान्य नहीं होगी।
  7. ई-निविदा में सफल निविदादाता को निविदा के साथ जमा करवाए गए 2 लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट को नगर निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में परवर्तित कर दिया जायेगा। उक्त राशि के अतिरिक्त 5 लाख रु0 की बैंक गारन्टी वर्क आर्डर मिलने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी। जिसकी वैधता कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए व उक्त 2 लाख रु0 की धरोहर राशि ठेके की अवधि को कार्य संतोषजनक पूर्ण होने उपरान्त बिना ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा।
  8. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा नगर निगम प्रशासन के सहयोग से निगम क्षेत्र में अपने-अपने घरों/संस्थानों में गलनशील व अगलनशील कूड़ा अलग-2 एकत्रित करने के लिए दो अलग-2 डस्टबीन लगाने बारे प्रेरित व जागरूक किया जायेगा।
  9. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा आम जनता की शिकायत का इन्द्राज करने के लिए प्रत्येक वार्ड में स्थान चिन्हित करके टेलिफोन नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर व एक कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। नगर पार्षद व आम जनता द्वारा की गई शिकायत 24 घंटे के अन्दर-2 निपटान करके निगम कार्यालय में भी सूचित करना होगा तथा प्रत्येक वार्ड में एक सुपरवाइजर नियुक्त करना होगा तथा उनको मोबाईल फोन व आवागमन के साधन देने होंगे।
  10. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को सभी प्रकार के संसाधन जैसे झाड़ू, कस्सी, बेलचा, टोकरी, दस्ताने, गम बूट, कर्मचारियों की वर्दी, रिक्शा रेहड़ी, थ्री-व्हीलर, कूड़ा उठाने के लिए वाहनों तथा उन पर आने वाले डीजल, चालक, रखरखाव व मैन पॉवर आदि का खर्च तथा प्रबन्ध अपने स्तर पर करना होगा तथा सभी वाहनों पर जी.पी.एस. भी लगवाना होगा और सभी कुलेक्शन प्वाइंट से कूड़ा एकत्रित करके दिन में कम से कम दो बार डम्पिंग प्वाइंट तक पहुंचाना होगा। अगर कुलेक्शन प्वाइंट पर गंदगी पाई जाती है तथा एकत्रित किए गए कूड़े को समय पर नहीं उठाया जाता है तो

- टेकेदार/फर्म/एजेन्सी पर पहले दिन 250 रू0 प्रति डस्टबीन/स्थान जुर्माना लगाया जायेगा अगर शिकायत के उपरान्त दूसरे दिन भी डस्टबीन/स्थान के बाहर कूड़ा पाया गया तो 500 रू0 प्रति डस्टबीन/स्थान जुर्माना लगाया जायेगा। जिसकी राशि बिल में से काट ली जाएगी। अगर फिर भी कूड़ा नहीं उठवाया जाता तो प्रतिदिन 500-500 रू0 बढ़ाकर जुर्माना लगाया जाता रहेगा।
11. टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा प्रति दिन डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित किया जायेगा जिसके लिए टेकेदार को कम से कम 200 घरों का गलनशील व अगलनशील कूड़ा उठाने के लिए एक रिक्शा रेहड़ी/थ्री-व्हीलर अथवा अन्य साधन तथा इसके साथ कम से कम दो कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने का कार्य प्रतिदिन करवाना होगा अगर एजेन्सी का कर्मचारी कूड़ा उठवाने के लिए नहीं जायेगा तो पहले दिन 50 रू0 प्रति घर जुर्माना लगाया जाएगा अगर दूसरे दिन भी कूड़ा नहीं उठाया जाता तो 100 रू0 प्रति घर जुर्माना राशि टेकेदार के बिल से काट ली जाएगी। अगर फिर भी कूड़ा नहीं उठवाया जाता तो प्रतिदिन 100-100 रू0 बढ़ाकर जुर्माना लगाया जाता रहेगा।
  12. टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा जो कर्मचारी, वाहन चालक इस कार्य के लिए रखे जायेगे वे सभी वर्दी में होंगे जिन्हें टेकेदार अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा। उन सब की आयु 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  13. टेकेदार/फर्म/एजेन्सी लगाये गये किसी भी कर्मचारी से दुर्घटना या लड़ाई-झगडा होता है तो उसका निपटान टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा अपने स्तर पर करना होगा तथा नगर निगम की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
  14. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा प्रति मास बिल प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अदायगी वर्क आर्डर में दी गई राशि में से नियमानुसार टी.डी.एस. एवं अन्य लागू सरकारी टैक्स आदि काटकर की जायेगी।
  15. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा नियम व शर्तों के अनुसार 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर टेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर-2 इकरारनामा करना होगा।
  16. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी को राजकीय अवकाश वाले दिन भी कूड़ा उठाने का प्रबन्ध करना होगा तथा प्रतिदिन गलनशील व अगलनशील कूड़े को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर एकत्रित करने उपरान्त अपने वाहनों के माध्यम से डम्पिंग प्वाइंट तक ढककर पहुंचाना होगा, ऐसा न करने पर 500 रू0 प्रति वाहन जुर्माना राशि वसूल की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुलेक्शन प्वाइंट को भी साफ-सुथरा रखेगा। कूड़ा उठाने के पश्चात् उन स्थानों तक चूना/वलिचिंग पाउडर का छिड़काव भी अपने स्तर पर करना होगा।

17. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी किसी अन्य ठेकेदार को कार्य सबलैट नहीं करेगा यदि ऐसा करता है तो आयुक्त नगर निगम को बिना किसी प्रकार की सूचना के ठेका रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने बारे सम्पूर्ण अधिकार होगा व उनकी रिपोर्ट अनुसार आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
19. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा पूर्ण क्षेत्र में दिन में दो बार सफाई व कूड़ा उठवाने का कार्य, सुबह 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक घर-घर से कूड़ा उठवाने का कार्य व इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मेन बाजारों की रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सफाई का कार्य करवाना होगा।
20. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को नियमानुसार प्रत्येक मास की 7 तारीख से पूर्व श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948/डी0सी0 रेट/सरकार की हिदायतों के अनुसार भुगतान करने का बाध्य होगा व भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा। यदि किसी कारणवश नगर निगम द्वारा अदायगी में देरी होती है तो ठेकेदार के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रभावित नहीं होगा।
21. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाए गए वाहनों को चलाने के लिए लगाए गए ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाईसैंस होना अनिवार्य है। जिनकी फोटो प्रति कार्यालय में जमा करवायेगा।
22. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को बिल की अदायगी वरिष्ठ सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षकों की संतुष्टि रिपोर्ट देने पर ही की जाएगी।
23. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये गये कर्मचारी कूड़े में आग नहीं लगायेंगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो 5000 रु0 प्रति घटना/स्थान जुर्माना राशि वसूल की जाएगी तथा माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशों अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसमें ठेका रद्द करने की कार्यवाही भी शामिल है।
24. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के कर्मचारी यदि किसी अवस्था में हड़ताल/नारेबाजी आदि करते हैं तो प्रति घटना के अनुसार 10000 रु0 बिल में से काट लिया जाएगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
25. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये कोई भी कर्मचारी नगर निगम के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी, नगर पार्षद अथवा आम जनता से दुर्व्यवहार करता पाया जाता है तो उस कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा।

26. निगम द्वारा किसी भी समय जोन में वार्डों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। यदि वार्डों की संख्या अधिक की जाती है तो टेकेदार की राशि उसी अनुपात में राशि की वृद्धि कर दी जाएगी। यदि वार्डों की संख्या कम की जाती है तो टेकेदार की राशि उसी अनुपात में राशि की कम कर दी जाएगी व टेकेदार द्वारा प्रत्येक वार्ड में सरकार के यादि पत्र क्रमांक 16/15/2014-2सी1 दिनांक 26.06.2014 के अनुसार कर्मचारी रखने होंगे।
27. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा किसी भी लेबर कानून अधिनियम की उल्लंघना के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा तथा किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों का पालन करने का बाध्य होगा।
28. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी को नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में किसी वी0आई0पी0 के आगमन, आपाताकालीन स्थिति में व किसी भी प्रकार के समारोह के लिए कोई अन्य कार्य करवाने के लिए टेकेदार बाध्य होगा।
29. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट नहीं उठायेगा न ही इसे अन्य कूड़े में मिलने देगा।
30. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के जीवन/स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी व प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्तर पर पहचान पत्र देना होगा।
31. किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।
32. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को कार्य संतोषजनक न होने अथवा किसी भी समय बिना कारण बताए टेका रद्द करने का व शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जिसके लिए सम्बन्धित टेकेदार/फर्म/एजेन्सी का कोई भी एतराज मान्य न होगा।
33. टेकेदार/फर्म/एजेन्सी के पास कार्य में प्रयोग होने वाले सभी कर्मचारियों व साधनों की सूची (मलकीयत/लीज) सहित सभी वाहनों का रूट चार्ट व समय सारणी नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी।
34. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी को जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर की सफाई से जो कूड़ा/सिल्ट निकाली जाएगी वह भी उसी समय उठवानी होगी इसके अतिरिक्त छोटे मृत जानवर कुत्ता, बिल्ली आदि भी उठवाने होंगे।
35. आम जनता द्वारा फेंके गए किसी भी प्रकार के पेड़-पौधों की कटिंग जैसे घास, टहनियां व पत्ते इत्यादि भी उठवाने होंगे।

36. टेके में दिए गए क्षेत्र में जो डस्टबीन रखें जाएंगे उन डस्टबीन/स्थानों पर नीचे पड़े हुए कूड़े को भी डस्टबीनों के अन्दर डलवाने के लिए अलग से कर्मचारी लगाने होंगे। डस्टबीन खाली करने उपरान्त उस स्थान पर चूना आदि गिरवाने की जिम्मेवारी भी टेकेदार की होगी।
37. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने जोन में पड़ने वाले सभी सार्वजनिक शौचालय व पेशाब घर की दिन में दो बार सफाई करवानी होगी तथा उसमें प्रयोग होने वाला टॉयलेट क्लीनर व फरनैल आदि का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
38. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी को नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले वाहन को हरियाणा रोडवेज से चैक करवाकर दिया जायेगा तथा टेका समाप्ति उपरान्त भी वाहन को हरियाणा रोडवेज से चैक करवाकर नगर निगम को उसी हालत में वापिस करेगा तथा इन वाहनों के बीमा करवाने की जिम्मेवारी भी टेकेदार की होगी व आयुक्त नगर निगम द्वारा निर्धारित किराया टेकेदार/एजेन्सी के बिल से काट लिया जायेगा।
39. नियम व शर्तों में यदि व्याख्या (Interpretation) में कोई संदेह उत्पन्न होता है उस बारे में टेकेदार/एजेन्सी द्वारा लिखित में कार्यालय को देना होगा जिस पर अन्तिम फैसला आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी का मान्य होगा।
40. सफल टेकेदार/फर्म/एजेन्सी को इकरारनामे की शर्तों व अन्य किसी कार्य पर मतभेद होने पर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकूला मध्यस्ता अधिकारी (आर्बीट्रेटर) होंगे। मध्यस्ता अधिकारी (आर्बीट्रेटर) द्वारा दिया गया फैसला व आदेश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।